



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर
(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602 Toll Free HelpLine- 15100/9928900900)
E-mail: rslsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in, Website: www.rlsa.gov.in

क्रमांक:-रालसा/स्टोर/एफ 9/2021-22/ 161

दिनांक:- 24/3/21

कोटेशन के लिए अनुरोध

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा आगामी एक वर्ष 2021-22 हेतु कार्यालय में संस्थापित 05 (पांच) केनन फोटोस्टेट मशीनों के वार्षिक रख-रखाव मय पार्ट्स बाबत दरें प्रति कॉपी की दर से आमंत्रण हेतु कोटेशन के लिए अनुरोध जारी किया जाता है। कोटेशन दिनांक 01.04.2021 को दोपहर 02.00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे, इसके पश्चात् प्राप्त कोटेशन पर विचार नहीं किया जावेगा। निर्धारित समय तक प्राप्त कोटेशन उसी तिथि को दोपहर 03:30 बजे अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय चैम्बर में विभागीय उपापन समिति के समक्ष एवं उपस्थित कोटेशनदाताओं के समक्ष खोले जावेंगे। इस कार्य पर लगभग 50 हजार रुपये एक वर्ष में व्यय होना सम्भावित है।

निविदा की शर्तें:-

1. फोटो स्टेट मशीनों के रखरखाव के अन्तर्गत पार्ट्स एवं इंक सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।
2. सेवा प्रदाता फर्मों द्वारा कोटेशन प्रेषित करने से पूर्व, कार्यालय समय में कार्य का निरीक्षण किया जा सकता है।
3. सभी मशीनों का रख-रखाव व सर्विस फर्म के प्रशिक्षित सर्विस इंजिनियरों द्वारा ही किया जावेगा।
4. सभी मशीनों की सर्विस व मरम्मत कार्य शिकायत अनुसार विभाग में तुरंत उपस्थित होकर दुरुस्त करनी होगी।
5. निविदा में प्रेषित दरों के अलावा अन्य किसी भी प्रकार का टैक्स देय हो तो निविदा में अलग से अंकित करें।
6. कार्यालय में स्थापित फोटोस्टेट मशीनों की मरम्मत/सर्विस के दौरान क्षति होती है तो इसके लिए स्वयं कोटेशनदाता उत्तरदायी होगा।
7. कार्य संतोषप्रद होने पर ही भुगतान देय होगा।
8. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के अलावा अन्य कोई भी शर्तें स्वीकार नहीं होगी।
9. मशीनों में ओरिजनल पार्ट्स लगाने होंगे एवं अनुबंध के अनुसार ही बदले जाएंगे एवं बदले गये पार्ट्स विभाग के स्टोर अनुभाग में जमा करवाने होंगे जिसके पश्चात् ही भुगतान की कार्यवाही प्रारम्भ होगी।
10. निविदा के साथ अधिकृत व्यवसायी का रजिस्ट्रेशन एवं जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

निदेशक

क्रमांक:-रालसा/स्टोर/एफ 9/2021-22/ 162-164

दिनांक:- 24/3/21

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।
2. नोटिस बोर्ड राज. उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर।
3. श्री रविन्द्र कुमार छीपी, प्रोग्रामर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. संबंधित/रक्षित पत्रावली।

24-03-2021

उप सचिव (स्टोर प्रभारी)



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर
(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602 Toll Free HelpLine- 15100/9928900900)
E-mail: rslsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in, Website: www.rlsa.gov.in

क्रमांक:-रालसा/स्टोर/एफ 9/2021-22/ 165

दिनांक:- 24/3/21

कोटेशन के लिए अनुरोध

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा आगामी एक वर्ष 2021-2022 हेतु कार्यालय में संस्थापित लेजर प्रिंटर, मल्टीफंक्शनल प्रिंटर, कलर प्रिंटर एवं फैंक्स मशीनों के (INK, DRUM, CHIP, PCR, MEGNETIC ROAD, MEGNETIC BLADE, WIPER BLADE) वार्षिक रख-रखाव हेतु कोटेशन के लिए अनुरोध जारी किया जाता है। कोटेशन दिनांक 01.04.2021 को दोपहर 02.00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे, इसके पश्चात् प्राप्त कोटेशन पर विचार नहीं किया जावेगा। निर्धारित समय तक प्राप्त कोटेशन उसी तिथि को दोपहर 03:30 बजे अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय चैम्बर में विभागीय उपापन समिति के समक्ष एवं उपस्थित कोटेशनदाताओं के समक्ष खोले जावेगे। इस कार्य पर लगभग 50,000/- एक वर्ष में व्यय होना सम्भावित है।

निविदा की शर्तें:-

1. उक्त सभी मशीनों का रख-रखाव व सर्विस फर्म के प्रशिक्षित सर्विस इंजिनियरों द्वारा ही किया जावेगा।
2. सेवा प्रदाता फर्मों द्वारा कोटेशन प्रेषित करने से पूर्व, कार्यालय समय में कार्य का निरीक्षण किया जा सकता है।
3. उक्त सभी मशीनों की सर्विस व मरम्मत कार्य, शिकायत अनुसार विभाग में तुरंत उपस्थित होकर दुरुस्त करनी होगी।
4. उक्त सभी मशीनों में कोई भी उपकरण विभाग के निर्देशानुसार आवश्यकता होने पर ही बदला जायेगा।
5. कोटेशन में प्रेषित दरों के अलावा, सर्विस चार्ज एवं अन्य किसी भी प्रकार का टैक्स देय हो तो कोटेशन में अलग से अंकित करें।
6. कार्यालय में स्थापित प्रिंटर की मरम्मत/सर्विस के दौरान क्षति होती है, तो इसके लिए स्वयं कोटेशनदाता उत्तरदायी होगा।
7. कार्य संतोषप्रद होने पर ही भुगतान देय होगा।
8. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के अलावा अन्य कोई भी शर्तें स्वीकार नहीं होगी।
9. मशीनों में ओरिजनल पार्ट्स लगाने होंगे एवं अनुबंध के अनुसार ही बदले जाएँगे एवं बदले गये पार्ट्स विभाग के स्टोर अनुभाग में जमा करवाने होंगे जिसके पश्चात् ही भुगतान की कार्यवाही प्रारम्भ होगी।
10. कोटेशन के साथ अधिकृत व्यवसायी का रजिस्ट्रेशन एवं जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

- *Sd/-*
निदेशक

क्रमांक:-रालसा/स्टोर/एफ 9/2021-22/166-168

दिनांक:- 24/3/21

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।
2. नोटिस बोर्ड राज. उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर।
3. श्री रविन्द्र कुमार छीपी, प्रोग्रामर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. संबंधित/रक्षित पत्रावली।

Sd/-
24.03.2021
उप सचिव (स्टोर प्रभारी)